



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल कुल्हाड़ी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।
- ❖ अभियुक्त द्वारा शराब के नशे में मामूली विवाद को लेकर दिनांक 07.10.2026 की शाम थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास दुकान में की गई थी हत्या।
- ❖ पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार से किया गया पुरस्कृत।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों कि गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 13.10.2026 को कुल्हाड़ी से वार कर व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 07.10.2026 को भोला उर्फ दर्शन पुत्र जगनन्दन की अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा टीमो का गठन किया गया था जिनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक एवं भौतिक साक्ष्यों को संकलित किया गया था तथा आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्र की गई थी। इसके साथ ही अभियुक्त की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे थाना कोतवाली देहात से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 07.10.2026 की शाम वह मृतक के साथ शराब का सेवन कर रहा था। इसी दौरान शराब के नशे में मामूली विवाद होने पर उसने कुल्हाड़ी से वार कर मृतक की हत्या कर दी। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। हत्या की घटना का सफल अनावरण करने करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा टीम को 10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गोविन्द उर्फ गुड्डन पुत्र बृजमोहन निवासी महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 270/26 धारा 103 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. श्री संजीव चौबे थानाध्यक्ष कोतवाली देहात
2. उ०नि० श्री अमित राजपूत
3. उ०नि० श्री गौरव प्रताप सिंह
4. का० माधव सिंह
5. का० सचिन पटेल
6. म०का० पुष्पा कुशवाहा